रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)77

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1980/आश्विन 8, 1902
No. 459] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1980/ASVINA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1980

बीमा

का० आ० 827(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 326 (अ), तारीख 27 मई, 1974 के साथ प्रकाशित साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2 साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 के (जिसे इसमें आगे उक्त स्कीम कहा गया है) पैरा 3 में —

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) 'कंपनी' से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत हैं ;

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक) 'शुद्ध मासिक उपलब्धियां' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(1) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जिसके लिए निगम या कंपनी द्वारा निवास-स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है, मूल वेतन की राशि में से भविष्य निधि हेतु कर्मचारी का अनिवार्य अंशदान, मंहगाई भत्ता और गृह भाटक भत्ता काट कर प्राप्त की गई रकम ;

(2) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जिसके लिए निगम या कंपनी द्वारा निवास-स्थान की व्यवस्था की गई है, मूल वेतन की राशि में से भविष्य निधि हेतु कर्मचारी का अनिवार्य अंशदान और मंहगाई भत्ता काट कर प्राप्त की गई रकम ;

(iii) खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

(धक) 'पुनरीक्षित निबंधन' से चतुर्थ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं ;

(धख) 'पुनरीक्षित वेतनमान' से चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान अभिप्रेत है ।

उक्त स्कीम के पैरा 4 में, उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(4) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय

संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक कर्मचारी का वेतन और भत्ते पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार होंगे और सेवा में से प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन, जो उस तारीख को हो, पैरा 6क के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित निबंधनों के अनुरूप नियत किया जाएगा ।

(5) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जिसका मूल वेतन पैरा 6क के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप नियत किया गया है, यथास्थिति, 1 जनवरी, 1980 से या नियुक्ति की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको यह साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 प्रवृत्त होती है, पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख के ठीक पूर्व उसको लागू पुनरीक्षित निबंधनों, मानों पुनरीक्षित निबंधन 1 जनवरी, 1979 से प्रवृत्त हुए थे, और नए वेतनमानों के बीच (जिन्हें इसमें आगे 'विद्यमान निबंधन' कहा गया है) भविष्य निधि में कर्मचारी के अनिवार्य अंशदान को काटने के पश्चात् मूल वेतन, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों के अन्तर का संदाय किया जाएगा, परन्तु यह कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान—

(i) किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की दशा में ऊपर निर्दिष्ट धन का अंतर सेवा निवृत्ति की तारीख तक उपदान की रकम के, यदि कोई हो, अंतर सहित, उसको संदेय होगा ; और

(ii) उसकी मृत्यु की दशा में ऐसे अंतर का, उपदान की रकम के अंतर को उपवर्जित करते हुए, उस व्यक्ति को संदाय किया किया जाएगा, जिसे भविष्य निधि का अतिशेष संदेय होगा, और उपदान के अंतर का, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को संदाय किया जाएगा जिसको उपदान संदेय होगा : परन्तु यह और कि जहां किसी कर्मचारी की पूर्वोक्त अवधि के दौरान उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हो जाती है वहां ऐसे कर्मचारी के संबंध में उस श्रेणी में वेतनमान ऐसी उच्चतर श्रेणी के लिए चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान होगा ।

टिप्पण—उप-पैरा (5) के प्रयोजन के लिए—'अन्य भत्ते' से गृह भाटक भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, अर्हित वेतन और तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते अभिप्रेत हैं ।"

4. उक्त स्कीम के पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

6क—पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मूल वेतन का नियतन—प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए,—

(क) जो सेवा में है, मूल वेतन जो 31 दिसम्बर, 1978 को था, निगम द्वारा 1 जनवरी, 1979 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार नियत किया जाएगा ; और

(ख) जो 31 दिसम्बर, 1978 के पश्चात् और साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त किया गया था, मूल वेतन निगम द्वारा उसकी नियुक्ति की तारीख को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार नियत किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अधीन शुद्ध मासिक उपलब्धियां नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित रकम सहित विद्यमान वेतनमान के अधीन शुद्ध मासिक उपलब्धियों से अधिक नहीं होती हैं, वहां समुचित समायोजन भत्ता उसके स्तम्भ (1) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर्मचारी-वर्ग को दिया जाएगा जिससे कि उक्त रकम की शुद्ध न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित की जा सके ।

सारणी

कर्मचारी का प्रवर्ग	शुद्ध मासिक उपलब्धियों में न्यूनतम वृद्धि
(1)	(2)
अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	20 रुपए
अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से भिन्न निम्नलिखित रेंज में पुनरीक्षित वेतनमानों के अधीन मूल वेतन पर रखे गए कर्मचारी ।	
(i) 1000 रुपए तक	30 रुपए
(ii) 1001 रुपए से 1200 रुपए तक	45 रुपए
(iii) 1201 रुपए से 1400 रुपए तक	60 रुपए
(iv) 1401 रुपए और उससे अधिक तक	75 रुपए

टिप्पण 1 : इस पैरा में निर्दिष्ट 'समायोजन भत्तों' की गणना महंगाई भत्ते, अतिकाल भत्ते, भविष्य निधि के लिए अंशदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं की संगणना करने के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी ।

टिप्पण 2 : समायोजन भत्ते का उस समय तक संदाय किया जाता रहेगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी की अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति नहीं हो जाती है । प्रोन्नति पर भत्ता कुल उपलब्धियों में आमेलित हो जाएगा ।

5. उक्त स्कीम के पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7(1) वेतनवृद्धियां : किसी कर्मचारी के लिए साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख से उसको लागू श्रेणी में वेतनवृद्धियां प्रति वर्ष उस मास के प्रथम दिन, जिसमें अंतिम वेतनवृद्धि ली गई थी या उस मास के प्रथम दिन, जिस दिन वह निरंतर सेवा के 12 मास पूरे कर लेता है, शोध्य होंगी ।

टिप्पणी : 'निरंतर सेवा के बारह मास' से असाधारण छुट्टी की अवधि अपवर्जित करके बारह मास के बराबर अवधि अभिप्रेत है ।

(2) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् यथास्थिति प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, कार्य-अभिलेख समाधानप्रद पाए जाने पर, अभिलेख लिपिक के पद के किसी कर्मचारी को, उसको लागू चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अधिकतम पर उसके पहुंचने के पश्चात् उसके द्वारा की गई दो वर्ष की सेवा के पश्चात्, एक वेतनवृद्धि देने के लिए विचार कर सकेगा ।"

6. उक्त स्कीम के पैरा 10 में, उप-पैरा (3) में—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

"(ग) जहां किसी कर्मचारी के नाम अर्जित छुट्टी जमा है किन्तु उसने सेवा निवृत्ति की तारीख तक उसका उपभोग नहीं किया है, वहां उसको उसके नाम जमा अर्जित छुट्टी की उस अवधि के संबंध में, जो सेवा निवृत्ति की तारीख को हो, छुट्टी के समतुल्य नकद का संदाय किया जा सकेगा किन्तु यह निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात्—

(i) 180 दिन यदि कर्मचारी की समान्य सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष है ; और

(ii) 120 दिन यदि कर्मचारी की सामान्य सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष है :

परन्तु यह और कि यह खंड किसी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगा जो साधारण बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा चुका है, हटाया जा चुका है या पदच्युत किया जा चुका है।"

(2) नीचे खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(च) दो वर्षों के ब्लाक में एक बार किसी कर्मचारी के नाम जमा, किन्तु उपभोग न की गई अर्जित छुट्टी, अधिकतम 15 दिन के अधीन रहते हुए, भुनाई जा सकेगी और ऐसी छुट्टी के भुनाए जा चुकने पर ऐसे कर्मचारी के अर्जित छुट्टी खाते में उस कर्मचारी द्वारा भुनाई गई अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या उसके नाम में लिख दी जाएगी :—

परन्तु ऐसे कर्मचारी को यथापूर्वोक्त अर्जित छुट्टी भुनाने के लिए अनुज्ञा दिए जाने के पूर्व उससे 15 दिन से अन्यून की निरन्तर अवधि के लिए अर्जित छुट्टी का उपभोग करने की अपेक्षा की जायेगी।

टिप्पण : दो वर्षों का प्रथम ब्लाक साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रवर्तन की तारीख को प्रारंभ होगा और 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होगा। दो वर्षों के पश्चातवर्ती ब्लाक 1982-83, 1984-85 के और इसी प्रकार के होंगे।'

6. उक्त स्कीम के पैरा 12 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात:—

'12-सेवा-निवृत्ति : (1) कोई कर्मचारी जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थितकरण और पुनरीक्षण द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व निगम या कंपनी की सेवा में है 60 वर्ष की पूरी आयु पूरी कर लेने पर सेवा से निवृत्त हो जाएगा।'

(2) कोई ऐसा कर्मचारी जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1980 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात निगम या कंपनी की सेवा में आता है, 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवा से निवृत्त हो जायेगा :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें वह यथास्थिति 60 वर्ष या 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा निवृत्त हो जाएगा।

8. उक्त स्कीम के पैरा 13 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और उप-पैरा (1) को इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(2) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसने 15 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा की है, उपदान का संदाय किया जाएगा जो कि नीचे उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अनुसार परिगणित दो रकमों से अधिक होगा :

(i) अप पैरा (i) के अनुसार परिगणित अपदान :

(ii) प्रथम 15 वर्ष के संबंध में निरन्तर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास के सेवांत मूल वेतन की दर पर और आगे की निरंतर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे मास के सेवांत मूल वेतन की दर पर इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार ग्राह्य कुल उपदान 20 मास के सेवांत मूल वेतन या 30,000 रुपए से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा है।'

9. उक्त स्कीम के पैरा 20 में, खण्ड (ग) में '400 रुपए' अंकों और अक्षर के स्थान पर '500 रुपए' अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

10. उक्त स्कीम के पैरा 23 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :—

'23 पुनरीक्षित निबंधनों की अस्तित्वावधि : पुनरीक्षित निबंधन केन्द्रीय सरकार द्वारा उपांतरित किए जाने तक प्रवृत्त रहेंगे।'

1. उक्त स्कीम की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) भाग 1 में,—

"क. यात्रा भत्ता" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"क. यात्रा भत्ता

(1) रेल द्वारा यात्रा प्रवर्ग	यात्रा का ढंग और श्रेणी
(i) 600 रु० और अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी।	प्रथम श्रेणी
(ii) 600 रु० से कम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	(नई) द्वितीय श्रेणी, रात्रि यात्रा के लिए शयिका सहित
(iii) अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द	(नई) द्वितीय श्रेणी, रात्रि यात्रा के लिए शयिका सहित
(2) स्टीमर द्वारा यात्रा प्रवर्ग	यात्रा का ढंग और श्रेणी
(i) 1000 रु० से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	उच्चतम श्रेणी
(ii) 600 रु० और उससे अधिक किन्तु 1000 रु० से कम पाने वाले कर्मचारी	दोनों श्रेणियों में से जो उच्चतर हो, और जहां दो श्रेणियों से अधिक की व्यवस्था हो वहां मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी।
(iii) 600 रु० से कम पाने वाले सभी कर्मचारी (अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द से भिन्न)	दोनों श्रेणियों में से जो निम्नतर हो, और जहां तीन श्रेणियां हों वहां मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी। यदि चार श्रेणियां हों तो तृतीय श्रेणी।
(iv) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	निम्नतम श्रेणी
(3) सड़क द्वारा यात्रा एकल स्थान लेकर	† वास्तविक भाड़ा † अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के सिवाए उभी कर्मचारियों के लिए उच्चतर श्रेणी द्वारा, यदि उसकी व्यवस्था हो।"

(ख) "ख. "विराम भत्ता" शीर्ष के अधीन (क) और (ङ) मदों के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(क) विराम भत्ते की दरें निम्नलिखित होंगी, अर्थात :—

कर्मचारियों का प्रवर्ग	रकम
(1) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से	प्रति दिन 10 रु०
(2) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दसे भिन्न कर्मचारी	
(i) 600 रु० तक का मूल वेतन	प्रतिदिन 15 रु०
(ii) 601 से 1000 रु० के बीच मूल वेतन	प्रतिदिन 25 रु०
(iii) 1000 रु० से अधिक मूल वेतन	प्रति दिन 30 रु०

(ङ) मुख्यालय से एक स्थान पर कर्तव्य के लिए पहले 30 दिन की अनुपस्थिति के लिए पूर्ण विराम भत्ता दिया जाएगा और उसके पश्चात 90 दिन की अधिकतम अवधि के लिए प्रसामान्य दर के आधे पर

दिया जाएगा : परन्तु निगम या कम्पनी द्वारा उसके प्रसामान्य तैनाती के स्थान से बाहर किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्ति किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए यात्रा भत्ता 90 दिन की अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए पूर्ण दरों पर अनुज्ञेय होगा" ;

(ii) "11. स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता" भाग में (घ), (च) और (छ) खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"(घ) निजी सामान के परिवहन पर व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर होगी :

मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए	कुटुम्ब सहित	कुटुम्ब के बिना
1000 रु० से अधिक	20 क्विंटल	10 क्विंटल
301 रु० से 1000 रु० के बीच	15 क्विंटल	7.5 क्विंटल
300 रुपए तक	6 क्विंटल	2.5 क्विंटल

सामान मालगाड़ी या यात्रीगाड़ी द्वारा या यदि रेल परिवहन उपलब्ध न हो तो परिवहन के अन्य प्रकार द्वारा इस शर्त के अधीन ले जाया जाएगा कि परिवहन का खर्च मालगाड़ी द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम राशि से अधिक न हो।

(च) पैकिंग प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी :

(i) 600 रु० और 600 रु० तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए — प्रति किलोग्राम एक पैसा

(ii) 600 रु० से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए — प्रति किलोग्राम दो पैसे

(छ) पैकिंग और ढुलाई की प्रतिपूर्ति के अलावा कर्मचारियों को निम्नलिखित मान पर स्थानान्तरण अनुदान दिया जाएगा

मूल वेतन	स्थानान्तरण अनुदान
300 रु० तक	100 रु०
301 रु० से 1000 रु० के बीच	200 रु०
1000 रु० से अधिक	300 रु०

टिप्पण :—इस अनुसूची में किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" के अन्तर्गत पति या पत्नी, धर्मज, आश्रित बच्चे और कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता हैं"।

12. उक्त स्कीम में तृतीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"चतुर्थ अनुसूची

पैरा 3 (चक) देखिए

1. पुनरीक्षित वेतनमान (मूल वेतन)

क. पर्यवेक्षीय और लिपकीय कर्मचारिवृन्द

(1) अधीक्षक (वैयक्तिक काडर)*
640-50-890-60-1550 रु०

(2) ज्येष्ठ सहायक
440-30-530-35-600-40-720-45-855-50-905-द०रो०-50-955-55-1120-60-1360 रु०

(3) आशुलिपिक
440-30-530-35-600-40-720-45-855-50-905-द०रो०-50-955-55-1120-60-1360 रु०

(4) सहायक
340-20-440-25-540-30-630-35-700-40-740 द०रो०-40-820-45-910-50-1060 रु०

(5) अभिलेख लिपिक
305-10-385-15-415-20-495-25-570-30-720 रु०

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द

(1) चालक
314-10-354-12-390-15-480-20-620 रु०

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द
255-10-335-12-383-16-431-18-467-20-527 रु०

11. कृत्यिक भत्ता :

अपने नियमित मुख्य कृत्य के रूप में निम्नलिखित कृत्यों में से किसी में लगे कर्मचारियों को नीचे उपदर्शित रूप में कृत्यिक भत्ता दिया जाएगा :

(1) लिफ्टमैन, मशीन आपरेटरों, प्रधान चपरासियों जमादारों या दफ्तरियों के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द — प्रतिमास 20 रुपये

(2) बैंक को रोकड़ ले जाने या वहां से लाने वाले अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द, जब किसी कलैण्डर मास के दौरान ले जाए गए रोकड़ की रकम सामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो। — प्रतिमास 10 रुपये

(3) किसी कार्यालय में रोकड़ संभालने वाला रोकड़िया जब किसी कलैण्डर मास के दौरान रोकड़ संव्यवहार की कुल रकम सामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो — प्रतिमास 25 रु०

(4) टैलेक्स आपरेटर, पंच कार्ड आपरेटर और यूनिट अभिलेख मशीन आपरेटर — प्रतिमास 25 रु०

(5) प्राक्कलन-यंत्र प्रचालक — प्रतिमास 25 रु०

(6) निगम के अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक, महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और समतुल्य पदों पर अधिकारियों के आशुलिपिक — प्रतिमास 40 रु०

टिप्पण :

1. कृत्यिक भत्ता लेने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम का अवधारण अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाएगा जो कार्य की यात्रा और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

2. कोई कर्मचारी किसी एक समय में केवल एक कृत्यिक भत्ता लेगा।

3. छुट्टी पर जाने वाले किसी कर्मचारी को उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कृत्यिक भत्ता दिया जाएगा परन्तु यह तब जब वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी पद पर कार्यभार संभालता है।

4. कोई भी कर्मचारी, अधिकारस्वरूप उस पद से संलग्न कृत्यिक भत्ते का उपभोग करने के लिए किसी विशिष्ट कार्यभार के आबंटन किए जाने का दावा नहीं करेगा।

5. कोई भी कर्मचारी कृत्यिक भत्ते वाले पद पर कार्य करने से इन्कार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं रखेगा कि उसे वहां ऐसा भत्ता दिया जाए जहां पदधारी की अनुपस्थिति या अस्थायी रूप में अधिक कार्य

*निगम या कंपनी द्वारा अधीक्षक के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

भार के कारण कर्मचारी को उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सौंपा जाता है ।

III. महंगाई भत्ता :

(1) कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते के मान का अवधारण निम्नानुसार होगा :—

सूचकांक :	भारतीय श्रम पुस्तिका में यथाप्रकाशित औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता कीमत सूचकांक ।
आधार वर्ष :	1960–100
महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण :	महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 अंक बढ़ने या घटने पर तिमाही आधार पर किया जा सकेगा ।
महंगाई भत्ते की दर :	200 अंकों के ऊपर तिमाही औसत के प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों से संगणित किया जाएगा :

(i) 400 रुपए या उससे कम का मूल वेतन — मूल वेतन का 2 प्रतिशत

(ii) 400 रु० से अधिक मूल वेतन और अधिकतम 15.80 रु० के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 1.58 प्रतिशत ।

(2) किसी भी प्रक्रम पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते की राशि (चाहे उसका जो भी नाम हो) 2750 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : महंगाई भत्ते की संगणना करने के प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाले 3 मास की अवधि अभिप्रेत है । भारतीय श्रम पुस्तिका में यथाप्रकाशित अन्तिम सूचकांक आंकड़े ऐसे सूचकांक आंकड़े होंगे जिनको महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा । किसी विशिष्ट मास के लिए महंगाई भत्ते की संगणना करने के प्रयोजन के लिए पिछली तिमाही की तिमाही औसत को, जिसके अन्तिम सूचकांक आंकड़े उस मास के 15वें दिन को उपलब्ध हैं, हिसाब में लिया जाएगा । उदाहरणार्थ यदि अप्रैल मास के लिए महंगाई भत्ते की संगणना की जानी है तो पिछली तिमाही की तिमाही औसत जिसके लिए अन्तिम सूचकांक आंकड़े अप्रैल की 15 तारीख को उपलब्ध हैं, हिसाब में लिया जाएगा । इस पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का वास्तविक संदाय उस मास के अगले मास में किया जाएगा जिसमें सुसंगत सूचकांक आंकड़े उपलब्ध हैं ।

IV. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :

1. किसी पुष्ट किए गए कर्मचारी को जो नीचे वर्णित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है या जिसने अर्हता प्राप्त कर ली है उसको परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से नीचे वर्णित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिया जाएगा :

परन्तु उसे तकनीकी अर्हताओं के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा :

परीक्षा	प्रतिमास भत्ता
बीमा संस्थान परिसंघ या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) लाइसैंशिएट (अनुज्ञप्तिधारी)	15 रु०
(ii) एसोसिएटशिप को पूरा करने पर	25 रु०
(iii) फैलोशिप को पूरा करने पर	60 रु०
बीमांकक संस्थान :	
(iv) कोई तीन विषय	25 रु०
(v) कोई सात विषय	40 रु०
(vi) फैलोशिप पूरा करने पर	60 रु०
चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखा संस्थान :	
(vii) इन्टरमीडिएट पूरा करने पर	25 रु०
(viii) ऐसोसिएटशिप या फैलोशिप पूरा करने पर	50 रु०

2. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का अनुदान सम्बद्ध व्यक्ति की ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

3. जहां किसी कर्मचारी को किसी बीमा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर पहले ही कोई वेतन वृद्धि या कोई अन्य आवर्ती वित्तीय फायदा दिया गया है वहां अर्हता वेतन की रकम को उचित रूप से कम कर दिया जाएगा या पहले ही प्राप्त फायदे की मात्रा पर आधारित होते हुए कोई फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा ।

V. गृह भाटक भत्ता.

कर्मचारियों को गृह भाटक भत्ता प्रतिमास कम से कम 30 रु० और 150 रु० की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से संदेय होगा । जहां किसी कर्मचारी को निगम या किसी कम्पनी द्वारा कोई आवास स्थान दिया गया है उसे कोई गृह भाटक भत्ता संदेय नहीं होगा । कोई कर्मचारी जिसे इस प्रकार आवास स्थान दिया गया है उससे उसके मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर या स्थान के लिए मानक भाटक इनमें से जो भी कम हो, देने की अपेक्षा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिए "मानक भाटक" से अभिप्रेत है—

(क) निगम या कम्पनी के स्वामित्व में किसी स्थान की दशा में ऐसी संगणना के लिए केन्द्रीय सरकार में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार संगणित मानक भाटक;

(ख) जहां स्थान निगम या कम्पनी द्वारा किराए पर लिया गया है, वहां यथास्थिति, निगम या कम्पनी द्वारा संदेय संविदात्मक भाटक ।

VI. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार घोषित वर्ग 'क' नगर	मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो कम से कम 20 रु० और अधिक से अधिक 60 रु० होगा ।
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार घोषित वर्ग 'ख' नगर	मूल वेतन का 4 प्रतिशत जो कम से कम 20 रु० और अधिक से अधिक 40 रु० होगा ।

अन्य नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार 20 रु० इस फायदे का अपने कर्मचारियों तक विस्तार करती है ।

VII. पहाड़ी स्थान भत्ता :

श्रीनगर, धर्मशाला, बारामूला, अनन्तनाग, पालमपुर, शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, शिलांग, दार्जीलिंग, गंगटोक, ऊटाकमांड और मरकरा में तैनात कर्मचारियों को प्रतिमास कम से कम 20 रु० और अधिक से अधिक 75 रु० के अधीन रहते हुए उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रत्येक मास पहाड़ी स्थान भत्ता दिया जाएगा ।

पहाड़ी स्थानों पर स्थित सभी कर्मचारियों को निम्न भत्ता भी अनुज्ञेय होगा :—

(i) वे जो समुद्र सतह से 4000 फुट या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं; और

(ii) वे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों को भत्ते के संदाय के लिए पहाड़ी स्थान घोषित किए गए हैं ।

VIII. किट भत्ता :

पैरा VII में सूचीबद्ध पहाड़ी स्थानों में से किसी स्थान को स्थानान्तरित कर्मचारियों को 200 रु० का किट भत्ता दिया जाएगा । किट भत्ता एक पहाड़ी स्थान से दूसरे पहाड़ी स्थान को स्थानान्तरण पर या यदि ऐसा भत्ता पूर्वगामी तीन वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया था तो संदेय नहीं होगा ।

IX. वर्दी और धुलाई भत्ता :

अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित हैं, को वर्दियों का दिया जाना और धुलाई करने या धुलाई भत्ते के संदाय की व्यवस्था निम्नानुसार विनियमित होगी :—

(i) कार्यालय वर्दियां अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द, जिसमें चालक भी सम्मिलित हैं, को दी जा सकेंगी;

(ii) सूती वर्दियों के तीन सेट प्रत्येक वर्ष एक बार अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द, जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दिए जा सकेंगे । उन स्थानों में जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसे स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं जहां सर्दी अधिक पड़ती है, एक सूती वर्दी के बदले एक ऊनी वर्दी भी दी जा सकेगी और प्रत्येक दो वर्षों में नवीकृत की जा सकेगी ।

(iii) उस कर्मचारी को जिसे वर्दी दी गई है वर्ष में एक बार एक जोड़ी चप्पल दी जा सकेगी । जहां ऊनी वर्दी दी गई है वहां चप्पलों के अतिरिक्त दो वर्षों में एक बार एक जोड़ा जूते दिए जा सकेंगे । जहां जूते दिए गए हैं वहां दो जोड़े मोजे भी प्रत्येक वर्ष दिए जा सकेंगे । प्रत्येक दूसरे वर्ष में एक बार एक छाता भी दिया जा सकेगा ।

(iv) जहां निगम या उसका कोई समनुषंगी वर्दियों की धुलाई या सफाई करने की व्यवस्था नहीं करता है वहां कर्मचारी को मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में प्रतिमास सात रुपए और अन्य स्थानों में प्रतिमास 5 रु० की दर से धुलाई भत्ता अनुदत्त किया जा सकेगा । जहां ऊनी वर्दियां दी जाती हैं वहां उसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार वास्तविक ड्राइक्लीनिंग प्रभार की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी ।

[फा० सं० 105(20)बीमा-4/80]
कु० कुसुम लता मित्तल, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 30th September, 1980

S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 326(E), dated the 27th May, 1974, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Rivision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3 :—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

'(aa). "Company" means the National Insurance Company Limited, the New India Assurance Company Limited, the Oriental Fire and General Insurance Company Limited and the United India Insurance Company Limited';

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

'(ea) "Net monthly emoluments" means—

(1) In respect of an employee not provided with residential accommodation by the Corporation or the Company, the amount obtained by deducting the employee's compulsory contribution towards provident fund from the sum of the basic salary, dearness allowance and house rent allowance ;

(2) In respect of an employee provided with residential accommodation by the Corporation or the Company, the amount obtained by deducting the employee's compulsory contribution towards provident fund from the sum of the basic salary, dearness allowance and house rent allowance' ;

(iii) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely :—

'(fa) "Revised terms" means the revised scales of pay and allowances as specified in the Fourth Schedule ;

(fb) "Revised scales of pay" means the revised scales of pay specified in the Fourth Schedule' ;

3. In paragraph 4 of the said Scheme, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely :—

"(4) With effect from the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate

Staff) Second Amendment Scheme, 1980, the pay and allowances of every employee shall be in the revised terms and the basic salary of every employee in service as on that date shall be fitted into revised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6A.

(5) Every employee whose basic salary is fitted into the revised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6A shall be paid, for the period commencing from the 1st day of January, 1979 or the date of appointment, as the case may be, and ending with the date preceding the date on which the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, comes into force, the difference of basic salary, dearness allowance and other allowance, after deducting the employee's compulsory contribution to the provident fund, between the revised terms and the new scale of pay (hereinafter referred to as the 'existing terms') applicable to him immediately before the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, as if the revised terms came into force with effect from the 1st day of January, 1979;

Provided that during the period aforesaid—

(i) in the event of retirement of an employee, difference in money referred to above alongwith the difference in the amount of gratuity upto the date of retirement, if any, shall be payable to him ; and

(ii) in the event of his death, such difference, excluding the difference in the amount of gratuity, shall be paid to the person to whose the provident fund balance would become payable and the difference in gratuity, if any, shall be paid to the person to whom the gratuity would become payable :

Provided further that where an employee is promoted to a higher grade during the period aforesaid, the scale of pay in that grade in relation to such employee shall be the revised scales of pay specified in the Fourth Schedule for such higher grade.

Note.—'Other allowance' for the purpose of sub-paragraph (5) shall mean house rent allowance, city compensatory allowance, qualification pay and allowances for technical qualifications."

4. After paragraph 6 of the said Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"6A Fixing of basic pay in the revised scales of pay

The basic salary for every employee—

(a) in service as on the 31st day of December, 1978 shall be fixed by the Corporation in the revised scales of pay with effect from the 1st day of January, 1979.

(b) appointed after the 31st day of December, 1978 and before the commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, shall be fixed by the Corporation in the revised scales of pay on the date of his appointment :

Provided that where the net monthly emoluments under the scale of pay specified in the Fourth Schedule do not exceed the net monthly emoluments under the existing scale of pay by an amount as indicated in column (2) of the Table below an appropriate adjustment allowance shall be granted to the category of employee referred to in the corresponding entry in column (1) thereof so as to ensure a net minimum increase of the said amount.

Table

Category of employee	Minimum increase in Net Monthly Emoluments
(1)	(2)
Subordinate Staff	Rs. 20/-
Employees other than Subordinate Staff	
Employees fitted at basic salary under the revised scale of pay in the range of—	
(i) Upto Rs. 1000	Rs. 30/-
(ii) Rs. 1001 to Rs. 1200	Rs. 45/-
(iii) Rs. 1201 to Rs. 1400	Rs. 60/-
(iv) Rs. 1401 and above	Rs. 75/-

Note : 1.—"Adjustment Allowance" referred to in this paragraph shall not count for the purpose of computing dearness allowance, overtime allowance, contribution to provident fund and other retirement benefits.

Note : 2.—The "Adjustment Allowance" shall continue to be paid upto the time the concerned employee is promoted to the officer's grade. On promotion the allowance shall be absorbed in the total emoluments."

5. For paragraph 7 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"7(1). Increments.—Increments to an employee in the grade applicable to him with effect from the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, shall be due every year on the first day of the month in which the last increment was drawn or on the 1st day of the month in which he completes 12 months of continuous service.

Note .—"12 months of continuous service" means a period of duty equal to twelve months excluding periods of extraordinary leave.

(2) On or after the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, the Managing Director or the Chairman-cum-Managing Director, as the case may be, may subject to the record of work being found satisfactory, consider granting an employee belonging to the post of record clerk one increment after two years of service rendered by him, after such employee reaches the maximum of the scale of pay specified in the Fourth Schedule applicable to him."

6. In paragraph 10 of the said Scheme, in sub-paragraph (3) —

(1) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) Where an employee has earned leave to his credit but has not availed of the same till the date of retirement, he may be paid cash equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave at his credit as on the date of retirement subject to the following maximum limits, namely :—

(i) 180 days, if the normal retirement age of the employee is 58 years ; and

(ii) 120 days, if the normal retirement age of the employee is 60 years :

Provided that earned leave standing to his credit as on the date of death may be allowed to be encashed :

Provided further that this clause shall not apply to an employee, who has been compulsorily retired, removed or

dismissed in accordance with the General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975";

(2) after clause (e), the following shall be inserted namely :—

"(f(Once in a block of two calendar years, the earned leave standing to the credit of an employee, but not availed of subject to a maximum of 15 days, may be encashed and upon such leave having been encashed, the earned leave account of such employee shall be debited with the number of days of earned leave encashed by such employees :

Provided that before such employee is allowed to encash the earned leave as aforesaid, he shall be required to avail of earned leave for continuous period of not less than 15 days.

Note : The first block of two calendar years shall commence on the date of enforcement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980 and shall end on the 31st day of December, 1981. The subsequent blocks of two calendar years shall be 1982-83, 1984-85 and so on."

7. For paragraph 12 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"12. Retirement

(1) An employee who is in the service of the Corporation or a Company before the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Services of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980, shall retire from service when he attains the age of 60 years.

(2) An employee, who joins the service of the Corporation or a Company on or after the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Services of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1980 shall retire from service on his attaining the age of 58 years :

Provided that an employee shall retire on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years or 58 years as the case may be."

8. Paragraph 13 of the said Scheme, shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) as so renumbered, the following paragraphs will be, inserted. namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) an employee who has rendered continuous service of not less than 15 years shall be paid gratuity which shall be higher of the two amounts calculated in accordance with sub-clause (i) and sub-clause (ii) below :—

(i) Gratuity calculated in accordance with sub-paragraph (1) ;

(ii) Gratuity at the rate of one month's terminal basic pay for each completed year of continuous service in respect of the first fifteen years and at the rate of half a month's terminal basic pay for each year or further continous service subject to the condition that the total gratuity so admissible does not exceed a maximum of 20 months terminal basic pay or Rs. 30,000 whichever is less".

9. In paragraph 20 of the said Scheme, in clause (c) for the letters and figures "Rs. 400", the letters and figures "Rs. 500" shall be substituted.

10. For paragraph 23 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"23. Duration of revised terms : The revised terms shall continue to be in force unless modified by the Central Government"

11. In Second Schedule of the said Scheme—

(i) in part I—

(a) for the heading "A. Travelling Allowance" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"A. TRAVELLING ALLOWANCE

Category	Mode and class of travel
(1) TRAIN JOURNEY:	
(i) Employees drawing basic salary of Rs. 600 and above	First class.
(ii) Employees drawing basic salary below Rs. 600.	Second class (new) with a sleeper berth for night journey.
(iii) Subordinate staff	Second Class (new) with a sleeper berth for night journey.
(2) TRAVEL BY STEAMER:	
(i) Employees drawing basic salary of more then Rs. 1000/-.	Highest Class
(ii) Employees drawing Rs. 600/- and more but less than Rs. 1000.	Higher of the two classes and middle or second in case more than two classes are provided.
(iii) All employees drawing less than Rs. 600 (other than subordinate staff).	Lower of the two classes, and middle or second if three classes. Third if four classes.
(iv) Subordinate staff	Lowest class.
(3) TRAVEL BY ROAD:	
Taking a single seat.	'Actual fare.

*by upper class if provided, for all employees except Subordinate Staff.";

(b) under the heading "B. Halting allowance", for items (a) and (e), the following items shall respectively be substituted, namely :—

"(a) The rates of Halting Allowance shalll be as follows, namely :—

Category of employees	Amount
(1) Subordinate Staff	Rs. 10 per day
(2) Employees other than subordinate staff:—	
(i) basic salary upto Rs. 600/-	Rs. 15 per day
(ii) basic salary between Rs. 601–Rs. 1000.	Rs. 25 per day
(iii) basic salary over Rs. 1000/-.	Rs. 30 per day.

(e) Halting Allowance shall be allowed at full rates for the first 30 days of absence at any one station from headquarters on duty and thereafter at half the normal rates upto a maximum period of 90 days.

Provided that an employee deputed by the Corporation or a Company to attend any training programme outside his normal place of posting shall be treated as on tour for the

full duration of the training programme and Halting Allowance at full rates shall be admissible to him for the training period subject to a maximum period of 90 days."

(ii) In Part "II. Travelling Allowance on Transfer", for clauses (d), (f) and (g), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(d) Reimbursement of expenses on transportation of personal luggage shall be on the following basis :

For employees drawing basic salary	With family	Without family
Over Rs. 1000	20 quintals	10 quintals
Between Rs. 301 to Rs. 1000	15 quintals	7.5 quintals
Upto Rs. 300	6 quintals	2.5 quintals

The luggage may be carried by goods train or by passenger train or if rail transport is not available, by other mode of transportation subject to the condition that the cost of transportation shall not exceed the maximum permissible by goods train.

(f) For packing charges, reimbursement shall be as under :

(i) For employees drawing basic salary upto and including Rs. 600. — 1 paise per kg.

(ii) For employees drawing basic salary above Rs. 600. — 2 paise per kg.

(g) Apart from reimbursement of packing and cartage, employees shall be given a Transfer Grant on the following scale :—

Basic salary	Transfer Grant
Upto Rs. 300	Rs. 100.
Between Rs. 301 – Rs. 1000	Rs. 200.
Over Rs. 1000.	Rs. 300.

NOTE :—In this Schedule, "Family" in relation to an employee, includes the spouse, legitimate dependent children and parents residing with and wholly dependent on the employee".

12. In the said Scheme, after the Third Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"THE FOURTH SCHEDULE

[See paragraph 3(fa)]

I- Revised Scales of Pay (Basic Salary)

A—Supervisory and Clerical Staff—

(1) Superintendent (Run off cadre)* :
Rs. 640-50-890-60-1550

(2) Senior Assistant :
Rs. 440-30-530-35-600-40-720-45-855-50-905-EB-50-955-55-1120-60-1360.

(3) Stenographer :
Rs. 440-30-530-35-600-40-720-45-855-50-905-EB-50-955-55-1120-60-1360.

(4) Assistant :
Rs. 340-20-440-25-540-30-630-35-700-40-740-EB-40-820-45-910-50-1060.

(5) Record Clerk :
Rs. 305-10-385-15-415-20-495-25-570-30-720.

B—Subordinate Staff—

(1) Drivers :
Rs. 314-10-354-12-390-15-480-20-620.

(2) Other Subordinate Staff :
Rs. 255-10-335-12-383-16-431-18-467-20-527.

*No fresh appointment to the posts of Superintendent shall be made by the Corporation or Company.

II. Functional Allowance

Employees engaged in any of the following functions as their regular and main function shall be paid a functional allowance as indicated below :

(1) Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars or Daftaries. — Rs. 20 p.m.

(2) Subordinate Staff carrying cash to or from Bank where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000 or more. — Rs. 10 p.m.

(3) Cashier handling cash in an office where the total amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000 or more — Rs. 25 p.m.

(4) Telex Operators, Punch Card Operators, and Unit Record Machine Operators — Rs. 25 p.m.

(5) Comptists — Rs. 25 p.m.

(6) Stenographers to Chairman of Corporation, Managing Directors, General Managers, Assistant General Managers and equivalent positions — Rs. 40 p.m.

NOTES : 1. The number and names of persons eligible to draw the functional allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director depending upon the load of work and administrative requirements.

2. An employee shall draw only one functional allowance at any one time.

3. An employee proceeding on leave shall be paid the functional allowance during his leave period provided he resumes work in the same position on the expiry of his leave.

4. No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the functional allowance attaching to that position.

5. No employee shall refuse to work in a position carrying a functional allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

III. Dearness Allowances

(1) The scale of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under :—

Index : All-India Average Consumers Price Index Number for industrial workers as published in the Indian Labour Journal.

Base Year : 1960=100.

Revision of Dearness Allowance :—Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

Rate of dearness allowance :—For every 4 points of the quarterly average over 200 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates :

(i) Basic salary of Rs. 400 or less	2% of basic salary.
(ii) Basic salary of above Rs. 400	1.58% of basic salary with a minimum of Rs. 8 and maximum of Rs. 15.80.

(2) At no stage the sum of Basic Salary and Dearness Allowance (by whatever name called) is to exceed Rs. 2750 per month.

Note : For the purpose of calculating dearness allowance quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December. The final index figures as published in the Indian Labour Journal will be the index figures which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance. For the purpose of calculating dearness allowance for a particular month, the quarterly average for the last quarter for which the final index figures are available on the 15th day of that month shall be taken. For example, if the dearness allowance for the month of April is to be calculated the quarterly average for the last quarter for which the final index figures are available on the 15th of April will be taken. Actual payment of this revised dearness allowance shall be made in the month following that in which the relevant index figures are available.

IV. Allowance for Technical Qualifications

(1) A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination the allowance for technical qualifications mentioned below:—

Provided that not more than one allowance for technical qualifications shall be permissible to him

Examination	Allowance per month
Federation of Insurance Institute or Chartered Insurance Institute :	
(i) Licentiate	Rs. 15/-
(ii) Completion of Associateship	Rs. 25/-
(iii) Completion of Fellowship	Rs. 50/-
Institute of Actuaries :	
(iv) Any three subjects	Rs. 25/-
(v) Any Seven subjects	Rs. 40/-
(vi) Completion of Fellowship	Rs. 60/-
Institute of Chartered Accountants or Institutes of Cost and Work Accounts:	
(vii) Completion of Intermediates	Rs. 25/-
(viii) Completion of Associateship or Fellowship	Rs. 50/-

(2) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the person concerned.

(3) Where an employee has already been given any advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any insurance examinations, the amount of qualification pay shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

V. House Rent Allowance

The House Rent Allowance to the employees shall be payable at the rate of 10 per cent of basic salary subject to a minimum of Rs. 30 and a maximum of Rs. 150 per month. Where an employee has been provided with residential accommodation by the Corporation or a Company, no House Rent Allowance shall be payable to him. An employee who is so provided with residential accommodation will be required to pay 10 per cent of the basic pay or the standard rent for the accommodation which-ever is less.

Explanation —For this purpose "standard rent" means—

(a) in the case of any accommodation owned by the Corporation or the Company the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Central Government :

(b) where accommodation has been hired by the Corporation or the Company, the contractual rent payable by the Corporation or the Company, as the case may be.

VI. City Compensatory allowance shall be payable at the following rates :

"A" Class Cities declared as such by the Central Government from time to time.	6% of Basic salary with a minimum of Rs. 20/- and a maximum of Rs. 60/-
"B" Class Cities declared as such by the Central Government from time to time.	4-1/2% of Basic salary with a minimum of Rs. 20 and a maximum of Rs. 40/-
Other Cities where the Central Government extends the benefit to its employees.	Rs. 20/-.

VII. Hill Station Allowance

Employees stationed at Srinagar, Dharmasala, Baramulla, Anantnag, Palampur, Simla, Almora, Nainital, Shillong, Darjeeling, Gangtok, Ootacamaund and Mercara shall be paid Hill Station Allowance every month at the rate of 10 per cent of their basic salary subject to a minimum of Rs. 20 per month and a maximum amount of Rs. 75 per month. The allowance shall also be admissible to all the employees stationed at Hill Stations :

(i) which are situated at a height of 4000 ft. or more above sea level; and

(ii) which are declared as Hill Stations by the Central Government for payment of the allowance to its employees.

VIII. Kit allowance

Employees transferred to any of the hill stations listed in paragraph VII shall be paid a kit allowance of Rs. 200. The kit allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another or if the same was drawn at any time **during the preceding three years.**

IX. Uniforms and Washing Allowance

Issue of uniforms to subordinate staff including drivers and arrangement for washing or payment of a washing allowance shall be regulated as under :—

(i) Office uniforms may be supplied to subordinate staff including Drivers.

(ii) 3 sets of cotton uniforms may be supplied to subordinate staff including Drivers once every year. In places specified by the Managing Director as places where winter is severe, a woollen uniform may be supplied in lieu of one cotton uniform and renewed every two years.

(iii) An employee to whom a uniform is supplied may be supplied with a pair of chappals once a year. Where woollen uniform is supplied, a pair of shoes in addition to chappals may be supplied once in two years. Where shoes are supplied, two pairs of socks may also be supplied every year. One umbrella once every alternate year may also be supplied.

(iv) Where the Corporation or any of its Subsidiaries does not make arrangements to get the uniforms washed or cleaned, a washing allowance at the rate of Rs. 7 per month at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras and Rs. 5 per month at other places may be granted to employees. Where woollen uniforms are supplied, the actual drycleaning charges once a year may be reimbursed in addition."

[F. No. 105 (20) Ins. IV/80]

KM. KUSUM LATA MITAL, Addl. Secy.

SECRETARIAT OCT 1981 GOVT OF